



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012021-224654
CG-DL-E-23012021-224654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]
No. 312]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 343(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 424(अ) दिनांक 27 जनवरी, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH752G के कि.मी. 104.600 से कि.मी.128.600 चांदवड से मनमाड रोड (सेक्शन-4) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09 मार्च, 2020" को "महाराष्ट्र टाइम्स (इंग्रजी)" और "महाराष्ट्र टाइम्स (मराठी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH752G के कि.मी. 104.600 से कि.मी. 128.600 चांदवड से मनमाड रोड (सेक्शन-4) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नासिक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चांदवड				
	गांव का नाम: हरनुल				
1	16P	निजी	शुष्क	0.0704	सूर्यभान राजाराम पेंढारी, विठ्ठल राजाराम पेंढारी, निंबा सोनू वाघ, जयश्री श्रीकिसन हेडा, दत्त नामदेव साबणे, सुनीता उमाकांत ठाकरे, मनोज भास्कर सोनवणे, राजेंद्र भास्कर सोनवणे, सतीश पोपट पेंढारी, विलास किसन ढोबळे, अंकिता तानाजी सोनवणे, सुतारखेडे वि. का. स. सो. (१६प)
2	33	निजी	शुष्क	0.1937	काशिनाथ सहडू पेंढारी, सुतारखेडे वि. का. स. सो. (33)
3	34	निजी	शुष्क	0.679	लीलाबाई बाजीराव चव्हाण, काशिनाथ भिका पेंढारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुगाव, सुतारखेडे वि. का. स. सो. (34)
4	40	निजी	शुष्क	0.163	राजाराम दिगंबर पेंढारी, भगीरथीबाई दिगंबर पेंढारी, अमोल संपत पेंढारी, शितल संपत पेंढारी, माधुरी संपत पेंढारी, चंद्रकला संपत पेंढारी, अरुणा रामदास चव्हाण, चंद्रभान कारभारी शिंदे, जयंत चंद्रभान शिंदे, विनोद चंद्रभान शिंदे, सुतारखेडे वि. का. स. सो. (40)
			कुल	1.1061	

[फा. सं. NH-12014/49/2015-MAH(P-6)/3A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 343(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No.S.O. 424(E) dated 27 January, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH752G on the stretch of land from Km 104.600 to Km 128.600 Chandwad to Manmad (Section-4) in the district of NASHIK in the State of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Maharashtra Times (English)” and “Maharashtra Times (Marathi)” both dated 09 March, 2020 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority Deputy Collector (Land Aquisition) National Highway Project, Nashik and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752G in the stretch of land from Km. 104.600 to Km. 128.600 Chandwad to Manmad (Section-4) in the district of NASHIK in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NASHIK		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chandawad				
	Village: Harnul				
1	16P	Private	Dry	0.0704	Suryabhan Rajaram Pendhari, Viththal Rajaram Pendhari, Nimba Sonu Wagh, Jayshree Shrikisan Heda, Dattu Namdev Sabane, Sunita Umakant Thakare, Manoj Bhaskar Sonvane, Rajendra Bhaskar Sonvane, Satish Popat Pendhari, Vilas Kisan Dhoble, Ankita Tanaji Sonvane, Sutarkhede Vi. Ka. Sa. Society 16P
2	33	Private	Dry	0.1937	Kashinath Sahadu Pendhari, Sutarkhede Vi. Ka. Sa. Society 33

3	34	Private	Dry	0.679	Lilabai Bajirao Chavhan, Kashinath Bhika Pendhari, State Bank of India Dugaon, Sutarkhede Vi. Ka. Sa. Society 34
4	40	Private	Dry	0.163	Rajaram Digambar Pendhari, Bhagirathibai digambar Pendhari, Amol Sampat Pendhari, Shital Sampat Pendhari, Madhuri Sampat Pendhari, Chandrakala Sampat Pendhari, Aruna Ramdas Chavhan, Chandrabhan Karbhari Shinde, Jayant Chandrabhan Shinde, Vinod Chandrabhan Shinde, Sutarkhede Vi. Ka. Sa. Society 40
			TOTAL	1.1061	

[F. No. NH-12014/49/2015-MAH(P-6)/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Director